

राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान)

(फोन नं. 0141-2225532, 2222452 फैक्स नं. 0141-2221792)

No. AIDS/Estt./Misc(67)/2010/120

Date : 13-1-10

आदेश

राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर द्वारा दिनांक : 11.09.09 को आयोजित साक्षात्कार में चयन हो जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित अभ्यर्थियों को District AIDS Prevention Control Unit (DAPCU) में District Programme Officer के पद पर पूर्णतया अनुबन्ध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर रूपए 22,000/- प्रतिमाह फिक्स राशि पर कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये लगाया जाता है, जिसके लिए उन्हें इस कार्यालय द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र (संलग्न) कार्यग्रहण करने के पश्चात् तीन दिवस की अवधि में निष्पादित करना अनिवार्य होगा :-

Sr. No.	Name of Applicant and Address	Place of Posting
01	Sh. Sachin Sharma S/o Sh. Balchand Sharma, Bakani, Tehsil- Jhalarapatan, Distt-Jhalawar, (Raj.)-326022	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य), अजमेर के अधीन
02	Dr. Mahindra Singh Yadav S/o. Lt. Kajju Ram Ji Yadav Adarsh Colony, Pula, Udaipur (Raj.)	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य), उदयपुर के अधीन
03	Dr. Jagdish Sharda S/o Shri Manohar Lal Sharda C/o Mahalaxmi Cement Agency, Bakhasar Road, Chouhtan, Teh.- Chouthan, District: Barmer	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य), बाड़मेर के अधीन
04	Shikha Singhal D/o M. L. Gupts 207, Surya Nagar, Gopalpura By Pass, Jaipur.	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य), टोंक के अधीन
05	Dr. Mahveer Prasad Sharma S/o Late Shri Ram Prasad Sharma, 114, Arya Nagar, Alwar (Raj.)-301001.	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य), अलवर के अधीन


परियोजना निदेशक

No. AIDS/Estt./Misc(67)/2010/120

Date : 13-1-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, 9वां तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110001
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (वित्त), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
4. उप निदेशक (एस.टी.आई.), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
5. प्रभारी, सेन्ट्रल सर्वर रूम को विभागीय वेब साइट पर प्रकाशित करने हेतु।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.....।
7. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य)..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी के जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर उपस्थिति देने के पश्चात तीन दिवस में निर्धारित अनुबन्ध पत्र (प्रति संलग्न) रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर भरवाकर नोटेरी पब्लिक से सत्यापन उपरान्त आपके रिकॉर्ड में रखे एवं उपस्थिति की सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवावें।
8. संबंधित अभ्यर्थी को प्रेषित कर लेख है कि आप दिनांक : 27.01.2010 तक अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, उक्त तिथि के पश्चात् कार्यग्रहण कराया जाना संभव नहीं होगा अर्थात् उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावे। उपस्थिति प्रस्तुत करने के पश्चात् संलग्न अनुबन्ध पत्र रूपए 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर भरकर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित कराकर सम्बन्धित अधिकारी को तीन दिवस में प्रस्तुत करें।
09. आदेश पत्रावली।


परियोजना निदेशक